



2026:AHC:64650

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अवमानना आवेदन (सिविल) संख्या - 1925/2026

राजेंद्र प्रसाद

..... प्रार्थी(गण)

बनाम

अनुज मेहरा, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट

..... विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता : अमित सिंह यादव, गौतम कुमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या - 9

माननीय न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल

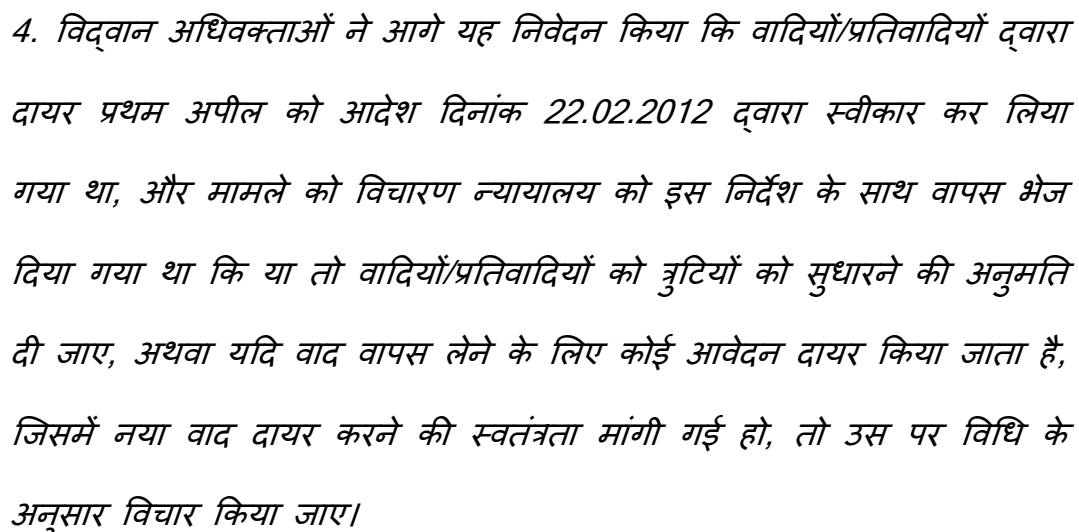
1. रिट न्यायालय ने दिनांक 16.12.2024 को, रिट-बी संख्या 30424/2012 का निस्तारण करते हुए, निम्नलिखित आदेश पारित किया था:-

"1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सिंह और श्री राम कृष्ण मिश्रा, तथा प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुजीत कुमार सिंह को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ताओं का यह निवेदन है कि पक्षों के पूर्ववर्तियों के बीच का विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक याचिकाकर्ता के पूर्ववर्ती के पक्ष में सुलझाया जा चुका है। अतः, प्रतिवादियों के पूर्ववर्ती द्वारा दायर किया गया कोई भी बाद का वाद विचारणीय नहीं होगा।

3. विद्वान अधिवक्ताओं ने आगे यह निवेदन किया है कि प्रतिवादियों द्वारा दायर किया गया एक बाद का वाद, आदेश दिनांक 23.05.2011 द्वारा मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि कुछ प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. विद्वान अधिवक्ताओं ने आगे यह निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा द्वितीय अपील दायर की गई थी, जिसे आदेश दिनांक 06.06.2012 द्वारा प्रवेश के चरण पर ही खारिज कर दिया गया था।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ताओं ने यह निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता ने राजस्व बोर्ड के समक्ष सभी विधिक बिंदु उठाए थे, जिनमें यह भी शामिल था कि वाद 'रेस-ज्यूडिकाटा' के कारण वर्जित था; हालाँकि, उन पर विचार नहीं किया गया।

7. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि यह विचार करने का चरण अभी तक नहीं आया है कि क्या वाद 'रेस-ज्यूडिकेटा' द्वारा वर्जित है, क्योंकि वाद को केवल इस मुद्दे पर वापस भेजा गया है कि प्रतिवादी या तो दोषों को दूर करें या वाद को वापस ले लें।

8. मैंने उपरोक्त प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

9. सर्वोच्च न्यायालय ने सत्यनाथ और अन्य बनाम सरोजमणि, (2022) 7 एससीसी 644 में, प्रस्तर 21 में प्रारंभिक मुद्दे के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया है कि:-

“21. आदेश 14 नियम 2 के प्रावधान प्रक्रियात्मक विधि का हिस्सा हैं, परंतु यह तथ्य अपनी जगह है कि ऐसी प्रक्रियात्मक विधि विवाद के त्वरित निस्तारण को



सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित की गई थी; और प्रारंभिक मुद्दे पर निष्कर्षों को रद्द किए जाने की स्थिति में, मामले को वापस भेजने की संभावना से बचा जा सकता है, जैसा कि संशोधन से पूर्व आदेश 14 नियम 2 की भाषा थी। यदि कोई बिंदु विधि और तथ्य का मिश्रित बिंदु है, अथवा विधि का बिंदु तथ्यों के निर्णय पर निर्भर करता है, तो ऐसे बिंदु की सुनवाई प्रारंभिक बिंदु के रूप में नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में, प्रारंभिक बिंदु वे हो सकते हैं जिनके लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं होती है, और यदि वाद-पत्र या लागू विधि को पढ़ने के आधार पर, न्यायालय का क्षेत्राधिकार या वाद पर रोक स्पष्ट हो जाती है, तो न्यायालय ऐसे बिंदुओं पर केवल शीघ्र निर्णय के उद्देश्य से फैसला दे सकता है। अतः, यदि न्यायालय के पास क्षेत्राधिकार नहीं है या कोई वैधानिक रोक है, तो ऐसे बिंदु का निर्णय सर्वप्रथम किया जाना आवश्यक है, ताकि वादियों द्वारा सिविल न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो, जो कार्यवाही में विलंब करने के लिए झूठे बहाने बनाकर सिविल न्यायालय का रुख कर सकते हैं।

10. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मामले को विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ वापस भेज दिया है कि वह या तो वादियों को दोष दूर करने की अनुमति दे, या वादियों को वाद वापस लेने की अनुमति दे ताकि वे सीपीसी के आदेश VII नियम 13 के अनुसार एक नया वाद दायर कर सकें। याचिकाकर्ता/प्रतिवादियों के कहने पर ऐसी स्वतंत्रता को चुनौती देना विधिक रूप से मान्य नहीं है, क्योंकि मुकदमे की सुनवाई अभी तक उसके गुण-दोषों के आधार पर नहीं हुई है।

11. इस चरण पर, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रतिवादी एक नया वाद दायर करने पर विचार कर रहे हैं।

12. उपर्युक्त परिस्थितियों में, इस याचिका का निस्तारण इस टिप्पणी के साथ किया जाता है कि विचारण न्यायालय यह निर्णय लेगा कि वह वादियों को वाद की त्रुटियों को दूर करने की अनुमति दे, अथवा, जैसा भी मामला हो, सीपीसी के



आदेश VII नियम 13 के अनुसार नया वाद दायर करने की अनुमति प्रदान करे।  
विचारण न्यायालय इस मामले में शीघ्रता से, और यदि आवश्यक हो तो इसमें  
याचिकाकर्ता/उसमें प्रतिवादी की सुनवाई करने के पश्चात्, यथाशीघ्र आज से 4  
सप्ताह के भीतर, निर्णय ले सकता है।"

2. इसी के अनुसरण में, प्रार्थी ने दिनांक 10.01.2025 को सक्षम न्यायालय के समक्ष, रिट न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया है।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि आवेदक ने उस वाद के दोष को दूर करवाने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया था, जिसे खारिज कर दिया गया था, और न ही उसने उसे नए सिरे से दायर करने की प्रार्थना की थी।
4. विचारण न्यायालय ने दिनांक 20.01.2026 को इस आधार पर मुकदमा खारिज कर दिया कि सीपीसी के विभिन्न प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था, और प्रार्थी ने विरोधी पक्ष पर नोटिस तामील कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था।
5. प्रार्थी के अधिवक्ता की दलीलें सुनने और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन करने के बाद, प्रार्थी को यह नई स्वतंत्रता दी जाती है कि वह विचारण न्यायालय के समक्ष एक उचित आवेदन प्रस्तुत करे, ताकि या तो मुकदमे में मौजूद दोष को दूर किया जा सके, या फिर रिट न्यायालय की आवश्यकता के अनुसार एक नया मुकदमा दायर किया जा सके।
6. यदि उक्त आवेदन आज से एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाता है, तो विचारण न्यायालय आदेश दिनांक 16.12.2024 का अनुपालन करेगा और प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अगले एक माह के भीतर निर्णय देगा।
7. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान अवमानना आवेदन का निस्तारण किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल)

28 मार्च, 2026

एस.के. गोस्वामी